327

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्यप्रदेश

निगरानी क्रमांक R-2127-II/13 सन् 2013

राघवेन्द्र कुमार उदैनियाँ तनय स्व0 शारदा प्रसाद उदैनियाँ निवासी सरानी दरवाजे के बाहर छतरपुर तह0 व जि0 छतरपुर म0प्र0। ———————— निगरानीकर्ता

वनाम

1. श्रीप्रकाश पटैरया तनय दुर्गा प्रसाद पटैरया निवासी गल्लामण्डी छतरपुर जि0 छतरपुर म0प्र0।
2. मुन्ना लाल सोनी तनय बैजनाथ सोनी निवासी पिपरसानियां मुहल्ला छतरपुर तह0 व जिला छतरपुर मध्यप्रदेश।

~~3. शासन मध्यप्रदेश~~ ———————— गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय् छतरपुर के प्रकरण क्र0 50/बी–121/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 29/04/2013 से दुखी होकर।

3/6/13

महोदय्

निगरानीकर्ता सादर निम्नानुसार निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष सादर प्रस्तुत करता है।

(1) यह कि निगरानीकर्ता ने गैरनिगरानीकतौ के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी महोदय् छतरपुर के न्यायालय में सरस्वती सदन पुस्तकालय पब्लिक ट्रस्ट के ट्रस्टी/सचिव श्रीप्रकाश पटैरया द्वारा लोकनिधि का गवन करने, एवं ट्रस्ट की सम्पत्ति को हानि पहुँचाने की जाँच कर अपराधिक प्रकरण दर्ज करने व ट्रस्ट भंग करने हेतु प्रस्तुत किया गया था।

(2) यह कि सरस्वती सदन पुस्तकालय पब्लिक ट्रस्ट का पंजियन माननीय अधीनस्त न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 41/बी–113/04/09/2005 को किया गया था। जिसके अनुसार एक अध्यक्ष, एवं एक उपाध्यक्ष एक सचिव एवं एक कोषाध्यक्ष होंगे। जिसका चुनाव कार्यकारणी के सदस्यों द्वारा किया जायेगा। तथा धारा –4 के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी से अनुमोदन कराया जायेगा। परन्तु आज तक कोई नियुक्तियाँ नहीं हुईं, और न ही अनुमोदन किया गया। लेकिन अबैध रूप से अनावेदक श्रीप्रकाश पटैरया द्वारा अधिनियम की धारा 13–14 एवं 27 का उल्लंघन करते हुए करोणों रुपयों की हानि जो कि गवन की श्रेणी में आती हैं। जैसे कि लगभग 10 दुकानों का निर्माण एवं आवंटन नियमों को ताक में रखते हुये कमीशन लेकर मनचाहे व्यक्तियों को बिना नीलामी के कर दिया जिसकी अनुमति भी नहीं ली गई एव निर्माण, में नगरपालिका, नजूल से अनुमति नहीं ली गई इस प्रकार पूरी सम्पत्ति का गवन अनावेदक द्वारा किया गया जिसमें माननीय अधीनस्थ न्यायालय से गवन का प्रकरण आनावेदक के विरुद्ध पंजीवद्ध किये जाने की प्रार्थना की गई है।

मुकेश भार्गव
3-6-13 एडवोकेट
ग्वालियर

//2//पर

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2127-दो/2013 जिला छतरपुर राघवेन्द्र विरूद्ध श्रीप्रकाश

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-01-2019 21-01-19	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 50/बी-121/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 29-04-2013 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 03-06-2013 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन)
सदस्य
21.01.19